न्यायालय उपजिलाधिकारी /सहा0कलेक्टर प्रथम श्रेणी ,कोल (अलीगढ)

वाद सं0 –2015180202816 — अन्तर्गत धारा –143 ज0वि0एवं भू0 व्यव0 अधिनियम

मौजा –पडियावली — परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ

सुमित कुमार — बनाम — सरकार

निर्णय

प्रार्थी श्री संस्कार इन्फा स्टेट प्रा0लि0 द्वितीय तल सर्राफा काम्प्लेक्स सर्राफा बाजार अलीगढ द्वारा डायरेक्टर सुमित कुमार पुत्र चन्द्रशेखर व लाजेश कुमारी पत्नी चन्द्रशेखर निवासीगण 29 आवास विकास कलौनी सासनी गेट परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ द्वारा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत दिनांक 05–12–2014 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है । जिसमें कहा गया है कि मौजा पडियावली परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ स्थित भूमि खाता संख्या–112 के गाटा संख्या–135 रकवा रकवा 3.094है0 लगानी 129.14रू0 के संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज एवं दखील है एवं राजस्व अभिलेखो में दर्ज है .उक्त भूमि में कृषि कार्य , खेती, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी आदि नही हो रही है। अतः उपरोक्त भूमि को आबादी /अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की मांग की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार कोल से आख्या चाही गई, तहसीलदार कोल ने अपनी आख्या दिनांक 12–02–2015 में उल्लेख किया है कि मौजा पडियावली परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ स्थित भूमि खाता संख्या–112 के गाटा संख्या–135 रकवा रकवा 3.094है0 लगानी 129.14रू0पर संस्कार इन्फा स्टेट प्रा0लि0 द्वितीय तल सर्राफा काम्प्लेक्स सर्राफा बाजार अलीगढ द्वारा डायरेक्टर सुमित कुमार पुत्र चन्द्रशेखर व लाजेश कुमारी पत्नी चन्द्रशेखर निवासीगण 29 आवास विकास कलौनी सासनी गेट के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य यथा कृषि , बागवानी, पशुपालन , मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन ,मधुमक्खी पालन एवं हार्टीकल्चर आदि का कार्य नहीं हो रहा है , बल्कि मौके पर दो तरफ से पक्की बाउन्ड्री बनी ह एवं भूमि खाली पडी है। उक्त भूमि अकृषिक के रूप में उपयोग में आ रही है। अतः उपरोक्त भूमि को आबादी/अकृषिक दर्ज किये जाने की संस्तुति की गई है।

पत्रावली का परिशीलन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार कोल की आख्या दिनांक 12–02–2015 का अवलोकन किया गया । तहसीलदार कोल द्वारा उपरोक्त भूमि को आबादी/अकृषिक दर्ज किये जाने की संस्तुति की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर नायब तहसीलदार मोरथल की आख्या दिनांक 12–02–2015 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विश्लेषणानुसार तहसीलदार कोल की आख्या दिनांक 12–02–2015 स्वीकार की जाती है। मौजा पडियावली परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ स्थित भूमि खाता संख्या–112 के गाटा संख्या–135 रकवा रकवा 3.094है0 लगानी 129.14रू0को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है । तहसीलदार कोल की आख्या दिनांक 12–02–2015 आदेश का अंग रहेगी। उपनिबन्धक कोल को भेजी जाये । तदानुसार परवाना अमलदरामद जारी हो । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो ।

दिनाँक– 24 फरवरी 2015.

([illegible])
उपजिलाधिकारी / सहा0कलेक्टर प्रथम श्रेणी
कोल (अलीगढ)

उक्त निर्णय मेरे द्दारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मुन्द्राकित व दिनाँकित कर उद्घोशित किया गया

दिनाक– 24 फरवरी 2015.

उपजिलाधिकारी / सहा0कलेक्टर प्रथम श्रेणी
कोल (अलीगढ)

न्यायालय उपजिलाधिकारी /सहा0कलेक्टर प्रथम श्रेणी ,कोल (अलीगढ)

वाद स0 –20161802022720 अन्तर्गत धारा –80उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006

मौजा –पडियावली परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ

संस्कार इन्फ्रा स्टेट प्रा0लि0 बनाम सरकार

निर्णय

प्रार्थी श्री संस्कार इन्फ्रा स्टेट प्रा0लि0 द्वितीय तल सर्राफा कम्पलैक्स सर्राफा बाजार अलीगढ द्वारा डायरेक्टर श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री कालीचरन निवासी एम0आई0जी0 29 आवास विकास कालोनी सासनी गेट,शहर अलीगढ द्वारा दिनाक 28-05-2016 को धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि मौजा पडियावली परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ के खाता सं0 111 गाटा सं0 132अ रकवा 2.554है0 व गाटा सं0 132ब रकबा 0.015है0 कुल दो किता रकबा 2.569है0 लगानी 92.40 में से रकबा 0.569है0 लगानी 60ख पर प्रार्थी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज भूमिधर अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है। अत: उपरोक्त भूमि को अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार कोल से आख्या चाही गई। तहसीलदार कोल ने अपनी आख्या दि0 02–06–2016 में उल्लेख किया है कि मौजा पडियावली परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ के खाता सं0 111 गाटा सं0 132अ रकवा 2.554है0 व गाटा सं0 132ब रकबा 0.015है0 कुल दो किता रकबा 2.569है0 लगानी 92.40 में से रकबा 0.4418है0 लगानी 15.89रू0 वार्षिक पर मै0 समर्थ सिटी होम्स प्रा0लि0 संस्कार इन्फ्रा स्टेट प्रा0लि0 द्वितीय तल सर्राफा कम्पलैक्स सर्राफा बाजार अलीगढ द्वारा डायरेक्टर श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री कालीचरन निवासी एम0आई0जी0 29 आवास विकास कालोनी सासनी गेट,शहर अलीगढ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रश्नगत भूमि मे कृषि, कार्य नही हो रहा है,। प्रश्नगत भूमि पर कृषि, कुक्कुट पालन, मछली पालन नही हो रहा है बल्कि मौके पर उपरोक्त भूमि में क्लब हाउस,पार्क तथा लोहे का गेट व पक्की बाउन्ड्री बनी है। अत: मौजा पडियावली परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ के खाता सं0 111 गाटा सं0 132अ रकवा 2.554है0 व गाटा सं0 132ब रकबा 0.015है0 कुल दो किता रकबा 2.569है0 लगानी 92.40 में से रकबा 0.4418है0 लगानी 15.89रू0 को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

पत्रावली का परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार कोल की आख्या दिनांक 02–06–2016 का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित सर्किल दर से मु0–67,000/रू0 राजकीय कोष मे चालाना सं0–ए–130533 से दिनांक 07–06–2016 को जमा कर दिये गये है, जिसके चालान की प्रति पत्रावली पर सलग्न है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तहसीलदार कोल की आख्या दिनांक 02–06–2016 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विश्लेषणानुसार तहसीलदार कोल की आख्या दिनांक 02–06–2016 स्वीकार की जाती है। मौजा पडियावली परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ के खाता सं0 111 गाटा सं0 132अ रकवा 2.554है0 व गाटा सं0 132ब रकबा 0.015है0 कुल दो किता रकबा 2.569है0 लगानी 92.40 में से रकबा 0.4418है0 लगानी 15.89रू0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार कोल की आख्या दिनांक 02–06–2016 आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक कोल को भेजी जाये। तदानुसार परवाना अमलदरामद जारी हो । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार मे संचित हो ।

दिनांक–10 जून 2016.

10/6/16

(राम सूरत पाण्डेय)

उपजिलाधिकारी/ सहा0कलेक्टर प्रथम श्रेणी

कोल (अलीगढ)

उक्त निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उदघोषित किया गया है।

10/6/16

दिनांक–10 जून 2016.

उपजिलाधिकारी/ सहा0कलेक्टर प्रथम श्रेणी

कोल (अलीगढ)

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय उप जिला0, कोल